न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
09/2019	गुण्डा नियंत्रण एक्ट	14.11.2019	15.11.2021

सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना बामनवास, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोप

–आवेदक (प्रार्थी)

बनाम

लोकूराम पुत्र रमेश कोली, उम्र– 22 वर्ष निवासी– पिपलाई, थाना बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर।

–अभियुक्त (अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक:15.11.21

निर्णय

पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अभियुक्त श्री लोकूराम पुत्र रमेश जाति कोली, निवासी – पिपलाई तहसील– बामनवास जिला – सवाई माधोपुर (राज0) के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना बामनवास में निम्न अभियोग पंजीबद्ध होना बताया है:–

क्र0 सं0	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
01	219/15	17.11.15	13 आर. पी.जी.ओ.	110	28.11.15	100/रू के अर्थदण्ड से दण्डित
02	43/16	08.02.16	13 आर. पी.जी.ओ.	21	15.02.16	300/रू के अर्थदण्ड से दण्डित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

2. उक्त पंजीबद्ध मुकदमात में बाद अनुसंधान चार्जशीट तैयार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास मे चालान पेश किए गए जिनमें न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास ने अभियुक्त को क्रमश: 100/रू तथा 300/रू के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश प्रदान किए है। चूंकि अभियुक्त श्री लोकूराम पुत्र रमेश कोली निवासी– पिपलाई, तहसील– बामनवास, जिला– सवाई माधोपुर उक्त दोनों मुकदमों में सार्वजनिक स्थानो पर जुआ खेलने के जुर्म में न्यायालय द्वारा दण्डित है तथा अभियुक्त द्वारा इस प्रकार कस्बा क्षेत्र मे खुले आम जुआ सट्टा खेलने से कस्बा क्षेत्र में रहने वाली आम जनता के जीवन के लिए एवं शान्ति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूपेण खतरा बन गया है। इससे लोग भारी परेशान है साथ ही इसकी आम शौहरत भी खराब है। अभियुक्त द्वारा बार–बार जुआ सट्टा आदि खेलने के कृत्य का दोहराव करने से प्रतीत होता है कि अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है तथा इसको कानून का कोई डर नही रह गया है। बावजूद बार–बार गिरफ्तारी के भी यह लगातार घटनाएं कर रहा है। अतः अभियुक्त के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

3. अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के नियम–4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त बाद तामील स्वयं उपस्थित साथ ही श्री कृष्णकुमार उपाध्याय, एडवोकेट द्वारा अभियुक्त की ओर से वकालतनाम पेश किया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने 5000/रू (अक्षरे– पाँच हजार रूपये मात्र) के जमानत मुचलके तथा जबाव प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

4- बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध गलत एवं निराधार तथ्यों के आधार पर इस्तगासा पेश किया गया हैं। प्रस्तुत प्रकरण में जो आधार बताए है उनमें अंकित किया गया है कि अभियुक्त गंगापुर सिटी में जुआ–सट्टा खेलता है तथा आम शौहरत खराब है। जबकि उक्त आधार गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गुण्डा घोषित किए

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

जाने के लिए अपर्याप्त है। साथ ही आर.पी.जी.ओ. एक्ट के अन्तर्गत दर्ज उक्त दोनों मुकदमो मे पुलिस द्वारा अभियुक्त पर झूठे व निराधार आरोप लगाए है जबकि सही स्थिति यह है कि प्रार्थी इस प्रकार का कोई अपराध नही किया है लेकिन मुकदमेबाजी के चक्कर से एवं लोक अदालत की भावना से अभिप्रेरित होकर जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त गरीब एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण मे निर्दोष करार देते हुए कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन करने तथा अभियोग पत्र में संलग्न दस्तावेजात व साक्ष्य का भली–भाँति आद्योपान्त अवलोकन किया गया। साथ ही राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के सुसंगत प्रावधानों का भी सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह निर्विवाद हे कि अभियुक्त को धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के अन्तर्गत दिनांक 28.11.2015 व 15.02.2016 को दो बार क्रमशः 100/रू व 300/रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह भी निर्विवादित है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) (v) के अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 148) के अन्तर्गत कम से कम दो बार दोषसिद्ध किए जाने पर उसे गुण्डा मानने का प्रावधान है। अभियुक्त, राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 148) के अन्तर्गत दो बार दण्डित हो चुका है। परंतु प्रकरण के समग्र अवलोकन के बाद हम थानाधिकारी पुलिस थाना बामनवास द्वारा इस्तगासा में दिए गए इस तर्क से सहमत नही है कि अभियुक्त संपूर्ण समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। कोई भी व्यक्ति राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 148) दो बार दण्डित होने मात्र से सामाजिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही जनहित को हानि पहुँच सकती है। उसके द्वारा किए अपराध से जनता पर इस मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसके सामान्यतः निवास–स्थल व जिले के बाहर निष्कासित करना औचित्यपूर्ण हो । चूँकि अभियुक्त 22 वर्ष का नवयुवक है और कोई भी व्यक्ति जो पूर्व मे जुएं के मामले में दोषसिद्ध किया जा चुका है, वह समाज के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर सिटी (स०मा०)

5. लिए खतरनाक हो चुका है, ऐसा मानना उचित प्रतीत नही होता है। साथ ही हमारी सुविचारित राय मे अभियुक्त इतना खतरनाक व आक्रामक व्यक्ति नही है कि उसे जिला बाहर किए जाने के आदेश दिए जा सके।

आदेश

अतः मै अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी प्रकरण के समग्र अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभियुक्त को राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 148) मे दोषसिद्धि से जनता पर ऐसी मात्रा में कोई प्रभाव नही पडता है कि उसके सामान्यतः निवास–स्थल व उसके जिले से निष्कासित करना औचित्यपूर्ण हो। अतः प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम होवें तथा निर्णय की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15.11.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला दण्डनायक
गंगापुर सिटी (स0मा0)